संख्या-35/2018/क0नि0-4-765/11-2018-300(23)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष-2018-19 में जी0एस0टी0 क्रियान्वयन हेतु कमाण्ड सेण्टर में इलेक्ट्रीसिटी व अर्थिंग कार्य हेतु भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-आई0टी0/कमाण्ड सेण्टर-(2018-19)/369/वाणिज्य कर, दिनांक 26 जून, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0एस0टी0 क्रियान्वयन हेतु कमाण्ड सेण्टर में इलेक्ट्रिसिटी व अर्थिंग के कार्य हेतु यू0पी0 डेस्को द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये गये कार्य के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये-6,84,326.00 (रूपये-छः लाख चौरासी हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) का व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19 में किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2040-बिक्री, व्यापर आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-08-कार्यालय व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-35/2018/क0नि0-4-765(i)/11-2018, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in